रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 1983/भाद्र 17, 1905
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 8, 1983/BHADRA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

का. नि. आ. 72(ई.).—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम, 1947 (1948 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा फरक्का बराज परियोजना के संचालन और अनुरक्षण से संबंधित सभी सेवाओं को समाज के लिए अति महत्वपूर्ण सेवाएं घोषित करती है ।

[फा. सं. 2(57)/83/डी(जौ एस-1)]

के. ए. गम्बियार, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 8th September, 1983

NOTIFICATION

S.R.O. 72(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares all services connected with the operation and maintenance of the Farakka Barrage Project to be services of vital importance to the community.

[F. No. 2(57)|83|D(GS.I)]

A. NAMBIAR, Jt. Secy. (G).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983